

①

B.A. II Hons  
Historyपेपर - ~~उत्तर~~ (बी) III

प्रश्न :- सामन्तवाद

उत्तर :- प्रारम्भ में सामन्तवाद का स्वस्म भारत में वैसा नहीं था जैसा कि इंग्लैंड और फ्रांस में था। प्राचीन भारत में सामन्तवाद अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। यदि भूमि अनुदान को सामन्तवाद का प्रारम्भिक तत्व मान लिया जाय तो ऐसा स्वस्म हमें ब्राम्हण और बौद्ध साहित्य में भी देखने को मिलता है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भी भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है। भूमि अनुदान के परिणामस्वरूप भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार का जन्म हुआ। इस भूमि अनुदान की परम्परा ने गुप्तकाल के बाद सामन्तवाद को विकसित करने में काफी सहायता दी।

कौटिल्य ने सामन्तवाद की विशेषताओं का उल्लेख किया है जिसमें एक नये तरह के उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था भूमि पर विकसित हुआ। हमें कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में देखते हैं कि राजा की भूमि को दास, मजदूर और अभियुक्तों के द्वारा जोते जाते थे। कौटिल्य यह स्वीकार करते हैं कि गुप्त एवं पुरोहित को भूमि पर लगान नहीं लगना चाहिए और उन ब्राम्हणों को कर भार से मुक्त रखना चाहिए जो वेद का अध्ययन करते थे। हमें 'अर्थशास्त्र' के द्वारा यह जानकारी भी मिलती है कि राजस्व समाहर्ता के द्वारा ऐसे गांवों को सूची तैयार की जाती थी जो गांव लगान देने से वंचित थे। सैनिक पदाधिकारियों को भी राजा की ओर से भूमि दी जाती थी। यदि भूमि पर अधिकार सैन्य व्यवस्था पर आधारित था तो इसे सामन्तवाद का एक आवश्यक तत्व माना जा सकता है जहाँ दासों ने उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

सामन्तवादी व्यवस्था में जाति व्यवस्था ने प्रशासकीय कार्य सम्पन्न किया। कार्य के बदले में सोनार, ठेकरा, लोहार, कारीगर, कुम्हार, हजाम नौकर और ब्राम्हणों को भूमि दी जाती थी। इस प्रकार कार्य तथा वेतन के बदले नगद भुगतान न करके भूमि देने की प्रथा ने सामन्तवाद के स्वस्म को भारत में अधिक विकसित किया।

हमें विभिन्न प्रकार के भूमिदान के विषय में जानकारी मिलती है, जो निम्नीलिखित है :-

॥1॥ ब्राम्हणों को अनुदान देकर अलग से स्वामित्व का अधिकार दिया जाता था।

॥2॥ जन सेवा के लिए सरकारी पदाधिकारियों को अनुदान दिया जाता था।



॥3॥ राज परिवारों को अनुदान देने की प्रथा थी ।

॥4॥ सरकारी कर्मचारियों को सेवा के बदले में अनुदान दिया जाता था ।

॥5॥ सैनिकों को युद्ध में जाने के फलस्वरूप अनुदान दिया जाता था ।

गुप्त राजाओं के शासन काल में भूमि अनुदान पानेवाले ब्राह्मण सभी प्रकार के राजकीय सुविधाओं का उपभोग करते थे और उन सभी असाधारणों को भी दण्ड देते थे जो लगान नहीं देते थे । अनुदान पानेवाले ब्राह्मण सरकार (राजा) को कुछ भी नहीं देते थे । दान में दिये गाँव के राजस्व में वृद्धि करना सरकार की ओर से निषेध कर दिया गया था । कृषक और कारीगर जो अनुदान दिये गये ग्राम में रहते थे उनपर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता था । इस परम्परा के परिणाम-स्वरूप राजा के राजस्व में भारी कमी होती थी ।

कुछ विद्वानों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि हूण आक्रमणों के परिणाम स्वरूप सामन्तवादी प्रथा को विकास हुआ । युद्ध, आक्रमण, लोगों का स्थानान्तरण, सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता एवं कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा ने भी सामन्तवादी प्रथा को मजबूत करने में सहयोग दिया । केन्द्रीय सरकार अधिक कमजोर हो चुकी थी जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय शासकों को अधिक अधिकार प्राप्त होता रहा था । ऐसी स्थिति में सामन्तों की शक्ति अधिक बढ़ गयी ।

भारत में सामन्तवाद का विकास मुख्यतः गुप्त शासन काल के बाद हो हुआ । वस्तुतः 700 ए०डी० से 1200 ए०डी० तक का काल सामन्तवाद की सुदृढ़ता का काल था । इस काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अधिक भू-सम्पत्ति अर्जित कर लिया । राजा की ओर से अनुदान पानेवाले व्यक्ति लगान एवं करों को स्वयं वसूलने लगे जो अबतक राजा या राज्य के द्वारा किया जाता था । क्षमिलनाडु में अनुदान ग्रहण करने वाले व्यक्ति अनुदान के रूप में गाँव दूसरों को देते थे । पुरोहित और मन्दी परोपकार के मुख्य केन्द्र थे । यहाँ तक कि राजा और राजकुमार भी इस प्रकार के अनुदान को ग्रहण करते थे । सर्वप्रथम 592 ए०डी० में सामन्तों को भित्तकाउण्ट कहा गया जो व्यक्तिगत रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे । सामन्तों का मुख्य कार्य था राजा को सैनिक सहायता प्रदान करना । ऐडोल अभिलेख के 23वें पद्य में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष को प्रजा द्वारा सुसज्जित सेना भेजी जाती थी।

सामन्तवादी व्यवस्था स्वामीभक्ति की एक शैली थी जिसके अन्तर्गत रैयत आत्तामी सरदार या मुझिया के प्रति, कृषक जमीन्दार के प्रति और सामन्त राजा या सम्राट के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार भक्ति सामन्तवादी व्यवस्था का प्रारम्भिक तत्व के सम में उभरता गया। यहाँ तक कि सेनापति को भी अपनी सेना के बदले में अनुदान मिलता था। केन के अनुसार पञ्चानुगत सैनिक सैन्य सेवा के बदले भूमि कर से मुक्त होते थे।

काश्मीर में सामन्तवाद के विकास को पूर्ण सफलता मिली जहाँ व्यापारी सामन्त के सम में परिवर्तित हो गये। काश्मीर के हमारा सामन्त जो सेना के उच्च पदाधिकारी होने के साथ-साथ व्यक्तिगत सेना ही नहीं रखते थे बल्कि अपनी सीमा को सुरक्षित भी रखते थे। वे कभी-कभी गृह-युद्ध और कभी-कभी बड़े राजाओं का पक्ष लेकर भी युद्ध करते थे। ये सामन्त लोग काफी शक्ति अर्जित कर चुके थे। बेखम्रमन्स भारत के विभिन्न भागों में इनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। बड़े-बड़े सामन्तों का अपना न्यायालय होता था जहाँ वे स्वयं न्याय करते थे। इनकी अपनी प्रजा होती थी। सामन्तों को राजा के द्वारा भूमि देने की प्रथा का वर्णन हसन-सांग ने भी किया है। सामन्ती व्यवस्था के अन्तर्गत प्रजा सामन्तों से सुरक्षा की आशा रखती थी।

विस्ती वेगार या फोर्डे लेबर सामन्तवादी व्यवस्था का प्रमुख तत्व था। कौटिल्य के समय वेगार की प्रथा का इतना अधिक प्रचलन था कि इन व्यक्तियों का ब्योरा रखा जाता है था जो वेगार में लगे होते थे। गाँव के निवासी सेना का रसद देने के लिए बाध्य किये जाते थे। राजा की ओर से अनुदान पानेवाले सामन्त अपनी स्वेच्छा से वेगारों को मजदूरी देते थे। मजदूरी देने का कोई निश्चित नियम न था। ई० पू० दूसरी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत तथा राजस्थान में इस प्रथा का काफी विकास हुआ। सामन्तवादी व्यवस्था का विकास बारहवीं शताब्दी में बंगाल में भी हुआ।

असामियों रैयतों को वार्षिक कर के सम में सामन्तों को कुछ न कुछ नकद देना पड़ता था और कभी मुलाये जाने पर सैनिक के सम में भी कार्य करना पड़ता था। सामन्तों के प्रति असामियों को स्वामीभक्ति की शपथ भी लेनी पड़ती थी। जिस प्रकार यूरोप में सामन्तवादी व्यवस्था का विकास



(4)

: 4 :

हुआ उसी प्रकार भारत में नहीं हुआ किन्तु विकास का समय करीब - करीब एक ही है। गुप्तों के शासन काल में भूमि अनुदान आर्थिक और राजनैतिक कार्य के लिए दिये जाते थे। हर्ष के शासन काल में सामन्त लोग राजा को उपहार और सैनिक सहायता प्रदान करते थे। प्राचीन भारत में जमीन्दारों और दास को पूजा योग्य समझा जाता रहा। यही कारण है कि सामन्तवादी व्यवस्था सैन्य सहायता तक ही सीमित रही। जमीन्दार किसानों से उत्पादित वस्तुओं को छीन ले जाते थे। इसके लिए किसानों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी। जमीन्दार भूमि नहीं बल्कि भूमि का अतिरिक्त मूल्य ही चाहते थे। सामन्त वादी व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव की व्यवस्था आर्थिक स्वावलम्बन पर ही आधारित थी किन्तु आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं होता था। अधिक उत्पादन गाँवों में न होने का मुख्य कारण यह था कि जमीन्दार किसानों से भारी मात्रा में उत्पादित वस्तुएँ बिना उचित मूल्य दिये ही ले जाते थे। फलतः उत्पादन की गति धीमी पड़ने लगी। उत्पादन की कमी से व्यापार में भी मन्दी आ गयी और लिक्कों का महत्व भी घटने लगा। राजा का अतिरिक्त संचित धन धन राज-प्रसाद, मन्दिर तथा अन्य निर्माण कार्य में व्यय होने लगा जिससे उत्पादन की आशा नहीं थी। धीरे-धीरे आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने लगी और राजस्व में भी भारी कमी होने लगी। दूसरी ओर गरीब किसानों पर कर का बोझ भी बढ़ने लगा। राजा सामन्तों पर आश्रित रहने लगा। भूमि पर अतिरिक्त कर लगाया गया। यहकर उत्पादन का 1/3 भाग तक होता था। समाज के दो उच्च वर्ग कर्षक कृषि के कार्य से अलग थे। कृषि का कार्य मुख्यतः शुद्रों के द्वारा ही किया जाता था। गाँवों की आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी। प्राचीन समुदायों का महत्व घटने लगा। गाँवों की अर्थ व्यवस्था में हम देखते हैं कि जैसे - जैसे व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता गया वैसे - वैसे जातियों की प्रशाखा भी बढ़ती गयी। सामन्तवाद का प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी बढ़ती पड़ा। सामन्तों को राजा के प्रति निम्नीलिखित कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता था :-

- १११ राज दरबार में प्रत्येक अवसरों पर उपस्थित होना पड़ता था।
- ११२ आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करना पड़ता था।
- ११३ वार्षिक कर एवं उपहार प्रदान करना पड़ता था।

5

: 5 :

इस प्रकार प्राचीन भारत के सामन्तवादी व्यवस्था में अनुशिक्षा, वेगार, मुक्ति, सामन्तों के कर्तव्य एवं उपहार प्रमुख तत्व थे। यह व्यवस्था मुख्यतः भूमि अनुदान पर ही आधारित थी। बाद में उत्पादन की कमी से गाँव की आर्थिक व्यवस्था की गति धीमी पड़ गयी। सामन्तवादी व्यवस्था के कारण व्यापार की काफी क्षति उठानी पड़ी। शहरी जीवन प्रायः समाप्त होने लगा। किसानों को अतिरिक्त कर देने के लिए मजबूर किया जाने लगा किन्तु यह अतिरिक्त कर प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न तरह से था।

|||||